कार्यालय नगर पंचायत विधूना–औरैया

पत्र संख्या–539 / दैवीय आपदा (2017–18) / विधूना, दिनांक–19 दिसम्बर, 2017

अति अल्पकालीन लकडी क्रय हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पंचायत विधूना औरैया मे समस्त पंजीकृत ठेकेदारों एंव समस्त फर्मो व लकडी विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 की शीत ऋतु के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए दैवीय आपदा के अन्तर्गत अलाव लगवाये जाने के लिये लकडी की आपूर्ति हेतु दिनांक 25.12.2017 को समय अपरान्ह 2.00 बजे तक निविदाएं कार्यालय नगर पंचायत विधूना में आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे निविदादाता अथवा उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि के समक्ष अधोहस्ताक्षरी द्वारा खोली जायेगी। निविदा फार्म दिनांक 23.12.2017 तक किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित कर्मचारी से निर्धारित मूल्य नकद जमा कर प्राप्त किये जा सकते है। स्वीकृत निम्न न्यूनतम निविदादाता को जमानत धनराशि के रूप में मु0 रू0 2,000.00 मात्र (रू0 दो हजार मात्र) नकद अथवा एफ0 डी0 आर0 / सी0 डी0 आर0 / बचत पत्र, जो अधिशाषी अधिकारी के पद नाम से बंधक करानी होगी। अन्य विस्तृत जानकारी सम्बन्धित कर्मचारी से किसी भी कार्य दिवस व समय मे की जा सकती है।

सामग्री का विवरण

क्र0 सं0	सामग्री का विवरण	सामग्री की दर	निविदा फार्म शुल्क	जमानत धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	लकडी जलाऊ (ठिंगर के स्वरूप में)	प्रति कुन्तल	200/–	2,000/–	–

–:शर्तें:–

1. यह कि बाद गुजरने मियाद प्राप्त किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. यह कि लकडी पर्याप्त सूखी उपलब्ध करानी होगी।
3. यह कि लकडी आवश्यकता के आधार पर मंगवायी जायेगी।
4. यह कि जलाऊ लकडी ठिंगर के स्वरूप में अलाव लगवाये जाने हेतु आपूर्ति करनी होगी।
5. यह कि लकडी आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति न किये जाने पर स्वीकृत निविदा निरस्त करते हुए अन्य लकडी विक्रेताओं से लकडी क्रय की जायेगी।
6. यह कि लकडी आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति न किये जाने पर आपकी जमानत धनराशि जब्त करते हुए आपके द्वारा आपूर्ति की गयी लकडी का भुगतान दूसरे लकडी विक्रेता से क्रय करने के अन्तर को उसके लकडी भुगतान को काटकर किया जायेगा।
7. यह स्वीकृत दरें 31 मार्च, 2018 तक के लिये मान्य होगी।
8. यह कि किसी विवाद की दशा में अध्यक्ष, नगर पंचायत विधूना औरैया का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
9. यह कि निविदा को किसी भी समय निरस्त करने, तिथि बढाये जाने के समस्त अधिकार अध्यक्ष / अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत विधूना औरैया को सुरक्षित रहेंगे।

10. यह कि लकडी के प्रस्तुत किये गये बिलों का भुगतान नगर निधि में धनराशि की आवश्यकता के आधार पर किया जावेगा।

(दीपालिका यादव) अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत विधूना, औरैया।	(अमित कुमार) अध्यक्ष, नगर पंचायत विधूना, औरैया।

पत्र संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक "स्वतंत्र भारत" एंव आज को इस अनुरोध के साथ कि वह उक्त विज्ञापन अपने आगामी समाचार पत्र मे अधिकतम छूट प्रदान करते हुए प्रकाशित कराये जाने का कष्ट करे एंव प्रकाशित समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. जिलाधिकारी महोदय, औरैया को सूचनार्थ।
3. अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी (स्था0 नि0) औरैया को सूचनार्थ।
4. उपजिलाधिकारी, विधूना औरैया को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त सूचना कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
5. खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत विधूना औरैया को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त सूचना कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, औरैया को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त सूचना जनपद की बेवसाइड पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. श्री भगवानदास चपरासी, नगर पंचायत विधूना को इस निर्देश के साथ कि वह उक्त सूचना नगर पंचायत विधूना, तहसील व ब्लाक के नोटिस बोर्डों पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।

अमित कुमार

अध्यक्ष,
नगर पंचायत विधूना,
औरया।